

133

जिला कोषागार, मधेपुरा।

पत्रांक / सपत्र

प्रेषक,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
मधेपुरा, कोषागार से संबंधित।

मधेपुरा, दिनांक।

विषय :- प्राप्त आवंटन का विपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपको विदित होगा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 समाप्ति पर है। प्रायः यह देखा जाता है कि वित्त विभाग द्वारा 10 या 15 मार्च के बाद वेतन मद को छोड़कर अन्य कुछ मदों की राशि निकासी पर रोक लगा दी जाती है जिसके कारण विपत्र पारित नहीं हो पाता है और आवंटन को प्रत्यार्पण करना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि वेतनादि को छोड़कर अन्य ईकाई में प्राप्त आवंटन का विपत्र यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के प्रस्तुत किया जाय, ताकि ससमय विपत्र पारित किया जा सके। प्राप्त आवंटन के विरुद्ध अवशेष राशि जिला के **Web Site** पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

एम -

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 133 / मधेपुरा, दिनांक 04.02.2017

प्रतिलिपि :- 1) जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

2) जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन आई सी को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि जिला के **Web Site** पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

3.2.17

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
मधेपुरा।

133